



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249658
CG-DL-E-23102023-249658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4454]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 23, 2023/कार्तिक 1, 1945

No. 4454]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 2023/KARTIKA 1, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2023

सं. 39 / 2023

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 5 के आईटीसी (एचएस) कोड 0511 99 99 के तहत मद हेतु आयात नीतिगत शर्तों में संशोधन।

का.आ. 4633(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 05 के तहत मद की नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है:

| आईटीसी (एचएस) कोड | मद विवरण | आयात नीति | मौजूदा नीतिगत शर्त | संशोधित नीतिगत शर्त |
|-------------------|-----------------|-----------|---|---|
| 0511 99 99 | अन्य: ---- अन्य | मुक्त | मानव भ्रूण का आयात एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार निषिद्ध है। | मानव भ्रूण एवं मानव युग्मक (गैमीट) का आयात एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार निषिद्ध है। |

अधिसूचना का प्रभाव: आईटीसी (एचएस) 0511 99 99 के तहत मानव भ्रूण और मानव युग्मक (गैमीट) का आयात एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार 'निषिद्ध' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/विधि-82/एम-05/पीसी-2[ए]/ई-1251]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2023

No. 39/2023

Subject : Amendment of Import Policy conditions for item under ITC(HS) Code 0511 99 99 of Chapter 05 of ITC(HS), 2022, Schedule –I (Import Policy).

S.O. 4633(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy conditions of item under Chapter 05 of ITC (HS), 2022, Schedule –I (Import Policy) as follows –

| ITC(HS) code | Item Description | Import Policy | Existing Policy Condition | Revised Policy Condition |
|--------------|------------------|---------------|--|---|
| 0511 99 99 | Other:---- Other | Free | Import of Human Embryo is Prohibited in accordance to the ART (Regulation) Act, 2021 and The Surrogacy (Regulation) Act, 2021. | Import of Human Embryo and Human Gametes is Prohibited in accordance with the ART (Regulation) Act, 2021 and The Surrogacy (Regulation) Act, 2021. |

Effect of the Notification: Import of Human Embryo and Human Gametes under ITC(HS) 0511 99 99 is 'Prohibited' in accordance with the ART(Regulation) Act, 2021 and The Surrogacy(Regulation) Act, 2021.

This issues with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Misc-82/AM-05/PC-2[A]/E-1251]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.